Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

अनुचित अभियोजन (न्याय की हत्या) के कारण एवं निवारण

डॉ0 मयंक शेखर तिवारी
सहायक आचार्य, मथुरा कालेज ऑफ लॉ, पुरजागीर, मिर्जापुर उ0प्र0

Article Info
Volume 5, Issue 6
Page Number : 26-32

Publication Issue :
November-December-2022

Article History
Accepted : 01 Dec 2022
Published : 15 Dec 2022

संक्षिप्तिकी

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतन्त्रा की गारंटी देता है। लेकिन यह गारंटी भी कानूनी अड़चनों के आगे बौनी साबित हो जाती है। न्यायालय से न्याय मिलते–मिलते बहुत अधिक समय लग जाता है।

अनुचित अभियोजन जिसे न्याय की हत्या भी कहा जाता है का अर्थ जहाँ प्रक्रियात्मक दुराचार, पुलिस या अभियोगात्मक, दुराचारी या लापरवाही के कारण निर्दोष व्यक्तियों को अनुचित अभियोजन का सामना करना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदा 1966 में अन्यायपूर्ण कैद के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया है।

वर्तमान समय में हमारे देश में अनुचित अभियोजन के लिए कोई भी वैधानिक या कानूनी व्यवस्था नही है। जिससे कि अनुचित अभियोजित व्यक्ति, को क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकें।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जेल में बन्द विचाराधीन कैदी है 4,27,165 जबकि कुल दोषी पाए गए 122852 थे। संजय राउत के वाद में न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध कहा। भारत में ऐसे मामलो में क्षतिपूर्ति देने के लिए कोई प्रावधान नही है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति की जाती है, लेकिन ऐसे मामले न के बराबर है। अनुचित अभियोजन के लिए बहुत से कारण होते है। जैसे पुलिस पर राजनीतिक नियन्त्रण ऐसे लोग अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए पुलिस का सहारा लेकर फर्जी मुकदमें दर्ज कराते है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी को फर्जी मुकदमें में फंसाना विचारण में अत्यधिक विलम्ब होना आदि बहुत से कारण है।

अनुचित अभियोजन को रोकने के लिए बहुत से सुझाव है उनमें सर्वप्रथम उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए जो अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षो को जेल की सलाखों के पीछे बिताऐ है। संस्थाओं का राजनीतिकरण बन्द हो, जैसे की उच्चतम न्यायालय ने सी०बी०आई० को पिजरे का तोता कहा है। सरकार, को चाहिए की

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

किसी भी कानून का दुरूप्रयोग न हो और अनावश्यक किसी के बहुमूल्य समय को जेलों की चाहरदीवारी में कैद करने की कोशिश न हों ।

अनुचित अभियोजन का अर्थ–अनुचित अभियोजन जिसे न्याय की हत्या भी कहा जाता है का मतलब जहाँ प्रक्रियात्मक दुराचार–पुलिस या अभियोगात्मक, दुराचारी या लापरवाही के कारण निर्दोष व्यक्तियों को अनुचित अभियोजन का सामना करना पड़ता है और न्यायालय के विचार करने या जॉच, पड़ताल करने पर वे अन्ततः निर्दोष सबित होते है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिर्पोट 2019 के अनुसार 31 दिसम्बर 2019 तक 1,44,125 लोग दोषी पाए गए जबकि 3,30,487 लोग विचारधीन थे। दिसम्बर 2021 के अन्त में दिसम्बर 2019 के आकडें भी पीछे रह गए। दिसम्बर 2021 के अन्तिम आकडों के अनुसार जेल में बंद विचाराधीन कैदी 4,27,165 थे जबकि कुल दोषी पाए गये 1,22,152 थे।

इन्ही ऑकडों की भयावहता को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को अन्यायपूर्ण रूप से जेलों मे समय विशेष के लिए बन्द करने पर दुःख प्रकट किया है। थाना सिंह बनाम नारकोटिक्स सेट्रल ब्यूरों[1] के मामले में अवलोकन करते हुए कहा है कि जिस लापरवाही से हम नागरिको को जेल में रखते है, यह कैद के कष्टो के प्रति हमारी असंवेदना को दर्शाता है। कैदियों की बढंती संख्या हमारी नासमझी को भी इंगित करता है। कैदी के लिए अभियोगाधीन कैदी और सिद्धदोष कैदी के करावास में कोई अन्तर नही होता है। क्योकि समाज की अपमानजनक आँखे दोनो के बीच कोई अन्तर नहीं करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान–नागरिक एंव राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदा 1966 के अनुच्छेद 9(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार या कैद रखा गया है, के पास क्षतिपूर्ति का प्रवर्तनीय अधिकार होगा।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 का अनुच्छेद 14(6) भी अनुचित अभियोजन के बारे में बताती है इसमें बताया गया, जब किसी व्यक्ति को अन्तिम निर्णय के माध्यम से आपराधिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और बाद में फैसले को पलट दिया गया हो या उसे इस आधार पर माफ कर दिया गया है कि नये एवं नये खोजे गये तथ्य के आधार पर निश्चित रूप से यह साबित हो जाए कि अनुचित अभियोजन हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्णय के कारण दण्ड का सामना करना पड़ा हो तो उसे कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, जब तक यह साबित न हो जाय कि समय में अज्ञात तथ्य

1. (2013) 2 एस सी सी 590 एस सी

का खुलासा पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसके लिए जिम्मेदार है। भारत सहित 168 देशों ने आईसीसीपीआर को अंगीकार किया है। हालाकि सभी देशों ने इसे कानून के रूप में परिणीत नहीं किया है।

अनुचित अभियोजन के कारण

अनुचित अभियोजन के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी है–

1. पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण।
2. पुलिस का अवैध धन के लिए लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति।
3. न्यायालय की लम्बी न्यायिक प्रक्रिया
4. अनुचित तरीके से दिए गए कारावास
5. पुलिस या अभियोजन पक्ष (प्रक्रियात्मक) कदाचार जिसके कारण दुर्भावनापूर्ण या लापरवाह जांच या निर्दोष व्यक्ति का अभियोजन किया जाता है।
6. प्रक्रियात्मक दुराचारों में शपथ द्वारा या कानून के किसी प्रावधान के द्वारा साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा झूठी घोषणा या बयान देना।
7. प्रक्रियात्मक दुराचारों में न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा चलाई गई किसी अन्य कार्यवाही में किसी भी सबूत को नष्ट करना ताकि उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सके।
8. किसी व्यक्ति के विरूद्ध झूठी आपराधिक कार्यवाही शुरू करवाने के लिए आरोप लगाना या कार्यवाही के कारणों को उत्पन्न करना।
9. विधि के विरूद्ध किसी व्यक्ति पर केस चलाना या जेल में डालना।
10. अन्वेषण में अत्यधिक समय लगाना

भारत में अनुचित अभियोजन के लिए प्रावधान–अनुचित अभियोजन रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है।

आपराधिक कानून के तहत भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 9 के तहत धारा 166, 166A और 167 उल्लेखीय है। अन्य धाराओं में अध्याय 11 के तहत धारा 218, 219, 220 सहित 44 धाराए झूठे साक्ष्य देने और सार्वजनिक न्याय के विरूद्ध अपराधों के संबंध में है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 9 व 11 में वर्णित प्रावधानों में उल्लिखित अपराध जैसे सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून का उल्लंघन, गलत दस्तावेज तैयार करना, झूठे सबूत देना, झूठे साक्ष्य बनाना गलत तरीके से किसी व्यक्ति को अपराध के लिए आरोपी बनाना है। इन मामलों में अपराधिक मनः स्थित को

साबित करना मुश्किल है। इसके अलावा, किसी पुलिस अधिकारी/सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करना भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अधीन है जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सरकार की अनुमति की आवश्यकता।

उ0प्र0 राज्य सरकार ने 23 मार्च, 2021 के आदेश में धारा 107, 116, 116(3) सीआरपीसी 1973 के मामलों से निपटने के लिए एक नीति बनाई है और नीति में प्रावधान है कि –

1. संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने की स्थिति में दोषी अधिकारी (यदि दोषी पाया जाता है) के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू0 25000/– की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा।

न्यायालय के द्वारा अनुचित अभियोजन पर दिए गए निर्णय

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा भी अनुचित अभियोजन (न्याय की हत्या) के सन्दर्भ में कई निर्णय दिए गए–

खत्री बनाम बिहार राज्य[2] इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस की अभिरक्षा में रखे गये 31 बन्दियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया जिनकों पुलिस वालों ने एसिड डालकर अंधा कर दिया था।

रूदल शाह बनाम विहार राज्य[3] के वाद में व्यक्ति को सेशन कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बावजूद 14 वर्ष तक जेल में बंद रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्षतिपूर्ति प्रदान की। बबलू चौहान उर्फ डब्लू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार[4] के वाद में दिल्ली उच्च न्यायायल ने जुर्माने के विषय एवं बिना किसी अपराध के सजा देने के फैसले के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की जिन्हे पहले तो दोषी ठहरा दिया जाता है परन्तु बाद में वह निर्दोष पाए जाते है। ऐसे आहत व्यक्ति के लिए कोई कानूनी प्रावधान न होने के कारण भारत के विधि आयोग को अनुचित अभियोग से पीड़ित और कैद में रहने वाले लोगों को राहत देने के मुद्दे पर जांच करने को कहा।

उपर्युक्त वाद के आधार पर विधि आयोग ने 277 वी रिपोर्ट पेश की जो आज तक लागू नहीं हो सकी इसके अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक अलग अध्याय जोड़कर इसके लिए विधि बनाने की बात करता है।

2.(1981) एस सी सी 627
3.एआईआर 1983 एस सी 1086
4. 247(2018) डीएलटी 31

शिव कुमार वर्मा और अन्य बनाम उ0प्र0[5] के वाद में (11.06.21 को) अपने दिए गए निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, ''संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक प्राधिकरण कानून के तहत बनी अदालतों या आयोग के समक्ष अपने व्यवहार के लिए जवाबदेह है, जिन्हें कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।''

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम0 के0 गुप्ता[6] के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, ''एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि एक शिकायतकर्त्ता उन लोगों की निष्क्रियता के लिए मुआवजे का हकदार है, तो शिकायतकर्त्ता को पब्लिक फंड से राशि का भुगतान किया जा सकता है, हालांकि यह राशि उन लोगों से वसूल की जा सकती है, जो इस तरह के अक्षम्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार पाए जाते है।''

अदालत ने यह भी कहा कि जहॉ यह पाया जाता है कि विवेक का प्रयोग (एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा) दुर्भावनापूर्ण था और शिकायतकर्ता मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है, तो अधिकारी एक सुरक्षात्मक कवर के तहत होने का दावा नहीं कर सकता है।

भोला कुम्हार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[7] को बलात्कार के एक दोषी को मुआवजे के रूप में 7.5 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे सजा की अवधि के बाद जेल में रखा गया था।

न्यायालय ने कहा जब एक दोषी को वास्तविक रिहाई की तारीख से परे हिरासत में लिया जाता है तो यह कानून की मंजूरी के बिना कारावास या हिरासत होगी और इस प्रकार न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) बल्कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अभी साजा तरीन मामले में एमपीएमएलए कोर्ट[8] ने संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इस कार्यवाही को विचहंट (निशाना बनाने) की कारवाई करार दिया।

अनुचित अभियोजन के निवारण के लिए सुझाव:—विभिन्न प्रावधानों के तथा न्यायिक निर्णयों के द्वारा क्षतिपूर्ति की बात की गई है लेकिन भारत में अभी तक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई कानून नहीं है न ही कोई विशेष मानक निर्धारित किए गए न्याय की हत्या के लिए क्षतिपूर्ति के साथ इसे रोकने के सन्दर्भ में दिए गए सुझाव निम्न है –

[5] पीटीशन नं0 16386 सन् 2020
[6] (1994) एससीसी 243 सुप्रीम कोर्ट
[7] क्रिमिनल अपील संख्या 937 एस सी 2022

[8] 10 नवम्बर नवभारत टाइम्स 2022

1. अनुचित अभियोजन के कारण हुई क्षति की भरपाई के लिए एक विधि की आवश्यकता है।
2. निर्दोष व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अधिकार के रूप में दी जाय राज्य के अनुग्रह के आधार पर नहीं।
3. विशेष न्यायालय द्वारा इन मामलों को तेजी से निपटाया जाय।
4. एक समीक्षा आयोग का गठन करना जिसका काम केवल यह देखना हो कि क्या कोई व्यक्ति न्याय की हत्या से पीड़ित तो नहीं है। यहॉ पर पीड़ित व्यक्ति आवेदन दे सकता हैं। अगर आवेदन उपयुक्त पाया जाय तो मामले को न्यायालय के सम्मुख समीक्षा आयोग रखे।
5. अधिकारियों के ऊपर उत्तरदायित्व का सिद्धान्त लागू हो अगर अधिकारी गलत अन्वेषण या जॉच करते है तो उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी बनाया जाय।
6. क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करते समय गैर–आर्थिक और आर्थिक दोनों को शामिल किया जाय।
7. क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त अनुचित अभियोजित व्यक्ति के पुर्नवास, नौकरी के लिए प्रशिक्षण, नौकरी की खोज में सहायता प्रदान करें।
8. इसके अतिरिक्त शरीरिक और मानसिक सेवाएं, परामर्श सेवाए मिले इनकी काउंसिलिंग हो।
9. इनके सजा के रिकार्ड को समाप्त किया जाय।
10. अनुचित अभियोजित हुए व्यक्ति के निर्दोष होने पर सार्वजनिक माफी, साथ में निर्दोषिता प्रमाण पत्र दिया जाय।
11. अन्वेषण के लिए अलग पुलिस व्यवस्था हो जो अन्य कार्यों में न लगाए जाए जिससे अपराधों के अन्वेषण में अनुचित विलम्ब न हो।
12. अन्वेषण के लिए अपराधों की गम्भीरता के आधार पर समय निश्चित हो और प्रति व्यक्ति अपराधों के अन्वेषण के लिए केसों की एक निश्चित सीमा निर्धारित हो।
13. पुलिस वह अन्य संस्थाए स्वतंत्र हो उनके ऊपर सरकार का अनावश्यक नियंत्रण न हो।

निष्कर्षः–अनुचित अभियोजन के जो कारण है उन कारणों को विधि बनाकर दूर किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जाय जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। उत्तरदायित्व का विकास हो जिससे कोई व्यक्ति चाहे वह अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति, वह किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करके अपने शान की या राजनीतिक आकाओं की इच्छा की पूर्ति करने के लिए विचहंट (निशाना बनाने) की कार्यवाही न करे और किसी निर्दोष व्यक्ति के जीवन के अमूल्य समय जेल की भयावह सलाखों के पीछे नष्ट न कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थः–

1. ए.आई.आर
2. एस.सी.सी
3. लावइ लॉ
4. नेशनल क्रिमिनल रिकार्ड ब्यूरो
5. नव भारत टाइम्स
6. ला कमिशन रिपोर्ट
7- भारतीय दण्ड संहिता–बेयर एक्ट
8. अन्तर्राष्ट्रीय विधि कूपर एण्ड अग्रवाल
9. उत्तर प्रदेश सरकार गजट